न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

<u>पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.</u>

<u>पत्रावली संख्या : 08/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.</u>

एयु स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व नाम "ए.यू. फाईनेन्सर्स(इण्डिया) लि.")
पताः– 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर–302001 राजस्थान।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. योगपाल सिंह पुत्र चौथमल (ऋणी व बंधनकर्ता)
   पताः– 163, खर्रा भवन, ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर– 332001
   दूसरा पताः– पट्टा नं.– 22, मिसल नम्बर 21, ग्राम गोवटी में प्लॉट, तहसील– दांतारामगढ़, जिला– सीकर राजस्थान।

2. अनिता देवी पत्नी योगपाल सिंह (सहऋणी)
   पताः– 43, बुलकों की ढ़ाणी, तुलसीरामपुरा, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर राजस्थान

अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction <u>of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.</u>

सत्यमेव जयते

<u>निर्णय</u>

Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांकः 25 जनवरी, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **योगपाल सिंह, अनिता देवी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **योगपाल सिंह पुत्र चौथमल की सम्पत्ति जो ग्राम पंचायत गोवटी, पंचायत समिति दांतारामगढ़ द्वारा जारी किया गया पट्टा नं. 22, मिसल नं. 21 के अनुसार ग्राम गोवटी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 494.05 वर्गगज है,** को बंधक रखकर **7,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **सात लाख** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.06.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.06.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **योगपाल सिंह, अनिता देवी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **योगपाल सिंह पुत्र चौथमल की सम्पत्ति जो ग्राम पंचायत गोवटी, पंचायत समिति दातारामगढ़ द्वारा जारी किया गया पट्टा नं. 22, मिसल नं. 21 के अनुसार ग्राम गोवटी, तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसकी माप लगभग 494.05 वर्गगज है**, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन न हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 25 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official